रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 7 जून, 1986/17 ज्येष्ठ, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला, 22 फरवरी, 1986

सं० डी० एल० आर०-अनुवाद अधिप्रमाणन-14/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश एंटरटेनमैंट्स

1454-राजपत्र/86-7-6-86—1,190

मूल्य : 20 पैसे।

टैक्स (सिनेमैटोग्राफ-शोज) ऐक्ट, 1968" के अधिप्रमाणित हिन्दी रूपान्तर को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

हिमाचल प्रदेश मनोरंजन-कर (चलचित्र प्रदर्शन) अधिनियम, 1968

(1968 का अधिनियम संख्यांक 11)

(31 दिसम्बर, 1984 को यथा विद्यमान)

(7 मई, 1968)

हिमाचल प्रदेश में चलचित्र प्रदर्शनों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर मनोरंजन-कर उद्गृहीत करने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में संघ राज्य-क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मनोरंजन-कर (चलचित्र प्रदर्शन) अधिनियम, 1968 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "आयुक्त" से उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, या इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, सशक्त कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "चलचित्र" के अन्तर्गत चलचित्रों या चित्रावलियों का प्रदर्शन करने वाला साधित्र भी है;

(ग) "प्रदर्शन" से कोई चलचित्र प्रदर्शन अभिप्रेत है;

(घ) "स्थायी सिनेमा परिसर" के अन्तर्गत चलचित्र फिल्मों के प्रदर्शन के लिए स्थायी रूप से सज्जित कोई भवन या कोई अन्य स्थान है;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) "स्वत्वधारी" के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे परिसर के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है जहां प्रदर्शन किया जाता है;

(छ) X X X

(ज) "पर्यटन सिनेमा" के अन्तर्गत वह सिनेमा है जो चलचित्र प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए स्थान-स्थान पर ले जाया जा सकता है;

(झ) "अधिसूचना" से शासकीय राजपत्र में समुचित प्राधिकार के अधीन प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।

सार्वजनिक सिनेमा प्रदर्शनों पर कर का उद्ग्रहण।

3. (1) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित है उस के सिवाय, ऐसे सभी सार्वजनिक चलचित्र प्रदर्शनों पर, जिनमें संदाय करने पर व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है, प्रति प्रदर्शन दस रुपए से अनधिक ऐसी दर या दरों पर, जो समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित की जाएं, मनोरंजन-कर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को सदत्त किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां इस शर्त के अधीन रहते हुए हैं कि चलचित्र प्रदर्शन मनोरंजन-कर की दर को नियत या परिवर्तित करने वाले प्रस्तावित आदेश का प्रारूप ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, और वह उसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्राप्त सभी आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर लिए जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा ।

(3) उपर्युक्त उप-धारा (1) के अधीन उद्गृहीत कर स्वत्वधारी से वसूलीय होगा ।

कराधान प्राधिकारी ।

4. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आयुक्त की सहायता ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा की जा सकेगी, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे ।

(2) आयुक्त या उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो उन्हें अधिनियम या उसके अधीन नियमों के अधीन समनुदिष्ट किए जाएं ।

स्वत्वधारी द्वारा प्रतिभूति का जमा किया जाना ।

5. (1) आयुक्त, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन कर के दायित्वाधीन, किसी स्थायी सिनेमा परिसर के स्वत्वधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आयुक्त के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूति के रूप में पांच सौ रुपए से अनधिक राशि खज़ाने में जमा करे ।

(2) आयुक्त, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन संदेय ऐसी राशियां हैं, जो स्वत्वधारी द्वारा देय हैं, अन्यथा वसूल नहीं की जा सकती हैं, तो वह सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसका भाग समपहृत कर सकेगा ।

(3) आयुक्त, यदि उसका समाधान हो जाता है कि किसी सिनेमा परिसर के ऐसे स्वत्वधारी ने, जिसने उपधारा (1) के अधीन कोई प्रतिभूति दी है, चलचित्र फिल्मों के प्रदर्शन का कारबार बन्द कर दिया है और इस अधिनियम या उसके अधीन नियमों के अधीन उससे कुछ देय नहीं है, स्वत्वधारी या उसके विधिक वारिसों को प्रतिभूति का प्रतिदाय करेगा ।

छूटें ।

6. (1) इस अधिनियम के अधीन, किसी सार्वजनिक चलचित्र प्रदर्शन पर वहां कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि प्रदर्शन का सम्पूर्ण शुद्ध-आगम लोकोपकारी, पूर्त, शैक्षणिक या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए लगाया जाएगा ।

(2) राज्य सरकार, साधारण या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा किसी प्रदर्शन या प्रदर्शन के वर्ग अथवा किसी स्वत्वधारी या स्वत्वधारी के वर्ग को, इस अधिनियम के किसी या सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

कर का संदाय और विवरणियां ।

7. (1) इस अधिनियम के अधीन संदेय कर एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति में संदत्त किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति विहित प्राधिकारी को ऐसी विवरणियां देगा, जो विहित की जाएं ।

(3) प्रत्येक पक्ष में एक पृथक विवरणी दी जाएगी, पहली मास के पहले दिन से लेकर चौदहवें दिन तक की अवधि के सम्बन्ध में होगी और दूसरी मास के पंद्रहवें दिन से मास के अन्तिम दिन तक की अवधि के लिए होगी ।

(4) प्रत्येक अवधि के लिए विवरणी उस अवधि की समाप्ति के बाद, जिससे वह सम्बन्धित है, सात दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी:

परन्तु विहित अधिकारी, विवरणियां देने के लिए लेखबद्ध कारणों से समय को, तीस दिन से अनधिक अवधि तक बढ़ा सकेगा ।

(5) इस अधिनियम के अधीन चौदह दिन के लिए संदेय कर किसी पर्यटन सिनेमा के स्वत्वधारी द्वारा उन चौदह दिनों के, जिनके लिए कर संदेय है, पहले दिन के प्रथम प्रदर्शन के आरम्भ होने से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले, खजाना या भारतीय रिजर्व बैंक में अग्रिम रूप में संदत्त किया जाएगा । कर का संदाय दर्शित करने वाली खजाना या बैंक की रसीद, विहित प्राधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे विहित प्राधिकारी निर्दिष्ट करे, इस प्रकार भेजी जाएगी कि वह, उन चौदह दिन के, जिनके लिए कर संदत्त किया गया है, पहले दिन के प्रथम प्रदर्शन के आरम्भ होने से पूर्व उसके पास पहुंच जाए ।

(6) किसी स्थायी सिनेमा परिसर का स्वत्वधारी उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित विवरण देने से पूर्व, ऐसी विवरणी के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन उससे देय कर की पूरी रकम खजाना या भारतीय रिजर्व बैंक में विहित रीति म संदत्त करेगा और ऐसी रकम के संदाय को दर्शित करने वाली, ऐसे खजाना या बैंक की रसीद भी विवरणी के साथ देगा ।

(7) यदि कर के संदाय के लिए दायी व्यक्ति, अपने द्वारा दी गई विवरणी में कोई लोप या अन्य भूल पाता है, तो वह आगामी विवरणी देने के लिए विहित तारीख से पूर्व किसी भी समय पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा और यदि पुनरीक्षित विवरणी यह दर्शित करती है कि मूल विवरणी में दर्शित कर की रकम से अधिक कर की रकम देय है, तो उसके साथ इसमें इसके पूर्व उपबन्धित रीति में अतिरिक्त रकम का संदाय दर्शित करने वाली रसीद भी भेजी जाएगी ।

(8) सिनेमा परिसर का प्रत्येक स्वत्वधारी, किए गए प्रदर्शनों का ऐसा लेखा रखेगा जैसा विहित किया जाए।

कर का निर्धारण ।

8. यदि किसी सिनेमा परिसर के स्वत्वधारी द्वारा किसी अवधि के बारे में कोई विवरणी धारा 7 की उपधारा (4) द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर नहीं दी जाती या यदि विहित प्राधिकारी का यह समाधान नहीं होता है कि दी गई विवरणी सही और पूर्ण है, तो वह ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात्, बारह मास के भीतर और स्वत्वधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उस विशिष्ट स्वत्वधारी से देय कर की रकम का अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण करने के लिए कार्रवाई करेगा ।

प्रतिदाय और माफी ।

9. (1) विहित प्राधिकारी, इस निमित्त आवेदन करने वाले स्वत्वधारी को, ऐसे स्वत्वधारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन उससे देय रकम से अधिक संदत्त किसी कर

की रकम का विहित रीति से प्रतिदाय, प्रतिदाय-वाउचर द्वारा स्वत्वधारी के विकल्प पर ऐसे आधिक्य की किसी अन्य अवधि के बारे में देय कर की रकम में से कटौती करके करेगा ।

(2) विहित प्राधिकारी, किसी ऐसे प्रदर्शन के लिए कर को, जो किसी कारण पूरा नहीं हो सका है, माफ कर सकेगा परन्तु यह तब जब कि उसका यह समाधान हो जाए कि टिकट-धारियों को उनके टिकटों की पूरी कीमत का प्रतिदाय कर दिया गया है ।

चलचित्र प्रदर्शन करने की सूचना ।

10. किसी पर्यटन सिनेमा का स्वत्वधारी, जो ऐसी चलचित्र फिल्में प्रदर्शित करने का आशय रखता है, जिनमें जनता को संदाय पर प्रवेश दिया जाना हो, विहित प्राधिकारी को ऐसे आशय की कम से कम पूरे तीन दिन की लिखित सूचना देगा ।

दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना और निरीक्षण ।

11. (1) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, किसी सिनेमा परिसर के स्वत्वधारी से प्रदर्शन से सुसंगत कोई लेखा या दस्तावेज, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी ऐसे अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी, जो विहित किया जाए ।

(2) यदि उप-धारा (1) में वर्णित राज्य सरकार के किसी अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि किसी सिनेमा परिसर का स्वत्वधारी इस अधिनियम के अधीन उससे देय कर के संदाय का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है तो वह स्वत्वधारी के ऐसे लेखा, रजिस्टर या दस्तावेजें, जो आवश्यक हों, अभिलिखित कारणों से अभिगृहीत कर सकेगा और उनके लिए एक रसीद देगा तथा उन्हें अपने पास ऐसी अवधि के लिए रखेगा, जो उसे उनकी परीक्षा के लिए या किसी अभियोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो ।

ऐसे स्थानों में प्रवेश और उनका निरीक्षण, जिनमें चलचित्र प्रदर्शित किए जा रहे हों ।

12. (1) (क) कोई अधिकारी, जो विहित किया जाए यह परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए कि क्या इस अधिनियम के उपबन्धों या उनके अधीन बनाए गए किसी नियम का अनुपालन किया जा रहा है, किसी सिनेमा परिसर में, जब कि उसमें प्रदर्शन चल रहा है, या साधारणतया चलचित्र फिल्मों के प्रदर्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान में, किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा ।

(ख) इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक होगा । 1860 का 45

(2) किसी सिनेमा परिसर का स्वत्वधारी या चलचित्र फिल्मों के प्रदर्शन के लिए साधारणतया उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति निरीक्षण अधिकारी की उपधारा (1) के अधीन उसके कर्त्तव्यों के पालन में हर युक्तियुक्त सहायता करेगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति निरीक्षण अधिकारी के प्रवेश को रोकेगा या उसमें बाधा पहुंचाएगा तो वह किसी ऐसे दण्ड के अतिरिक्त जिसके लिए वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दायी जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

13. (1) जहां कोई स्वत्वधारी धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कोई कार्यलोप या कार्य करता है, वहां आयुक्त या धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, स्वत्वधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे कर के अतिरिक्त, जिसका निर्धारण उसके सम्बन्ध में किया जाता है या जिसका निर्धारण किए जाने के लिए वह दायी है, दो हजार रुपए से अनधिक किसी राशि का शास्ति के रूप में संदाय करे। धन सम्बन्धी शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी स्वत्वधारी के विरुद्ध कोई अभियोजन उन्हीं तथ्यों के बारे में संस्थित नहीं किया जाएगा जिन के आधार पर उपधारा (1) के अधीन उस पर शास्ति अधिरोपित की गई है।

14. (1) इस अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्यवाही के लिए कोई अभियोजन राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं लाया जाएगा। कतिपय कार्यवाहियों का वर्जन।

(2) राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी या सेवक किन्हीं सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों में ऐसे किसी कार्य के बारे मे दायी नहीं होगा, यदि वह कार्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित कर्त्तव्यों के निष्पादन या कृत्यों के निर्वहन के अनुक्रम में सद्भावपूर्वक किया गया हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसा वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही, परिवादित कार्य की तारीख से छः मास के भीतर संस्थित न की गई हो।

15. (1) यदि किसी सिनेमा परिसर का स्वत्वधारी— अपराध और शास्तियां।

(क) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर उससे देय कर का संदाय करने में असफल रहता है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर के संदाय का कपटपूर्वक अपवंचन करता है; या

(ग) धारा 7 में उपबन्धित विवरणियां प्रस्तुत करने में असफल रहता है; या

(घ) धारा 10 में उपबन्धित सूचना देने में असफल रहता है; या

(ङ) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह प्रत्येक पृथक अपराध के लिए जुर्माने का, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा और जब अपराध चालू रहता है, तो अपराध के चालू रहने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए से अनधिक जुर्माने के लिए दायी होगा।

(2) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध का संज्ञान आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना, नहीं करेगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय ऐसे अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अपराधों का शमन करने की शक्ति।

16. (1) आयुक्त किसी भी समय ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया है, ऐसे अपराध के शमन के रूप में दो सौ पचास रुपए से अनधिक कोई राशि या अन्तर्वलित कर से दुगनी राशि जो भी अधिक हो, प्रतिगृहीत कर सकता है।

(2) ऐसी धन-राशि के संदाय पर, जो उपधारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा अवधारित की जाए, वह जहां आवश्यक हो, न्यायालय को रिपोर्ट करेगा कि अपराध का शमन कर दिया गया है और तत्पश्चात् उसी अपराध के बारे में अपराधी के विरुद्ध उस अधिनियम के अधीन कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी और उक्त न्यायालय अभियुक्त को, यथास्थिति उन्मोचित या दोषमुक्त कर देगा।

पुनरीक्षण।

17. आयुक्त स्वप्रेरणा से या आवेदन किए जाने पर, अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी की किसी कार्यवाही या आदेश के अभिलेख को, ऐसी कार्यवाही या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगवा सकेगा और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

वसूलियां।

18. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन देय कोई राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

19. आयुक्त ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन धारा 4 के अधीन उसको सहायता के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को, लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा।

नियम बनाने की शक्ति।

20. (1) राज्य सरकार, कर का संदाय सुनिश्चित करने के लिए और साधारणतय इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित में से सभी या किसी विषय के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:—

(क) ऐसी किसी सूचना, विवरणी, लेखा या अन्य दस्तावेज का प्ररूप, जो इस अधिनियम के अधीन या इसके प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने या रखे जाने के लिए अपेक्षित है ;

(ख) ऐसी किसी सूचना या आदेश की तामील की रीति जो तामील किए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत है ;

(ग) पुनरीक्षण आवेदनों पर और उनके सम्बन्ध में अनुसृत की जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) कर के संदाय से छूट के लिए अथवा कर या प्रतिभूति के प्रतिदायों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना और उन्हें निपटाना ;

(ङ) कोई विषय, जिसका विहित किया जाना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

1954 का 8
1966 का
31

21. (1) पंजाब एंटरटेनमेंट्स टैक्स (सिनेमैटोग्राफ शो) ऐक्ट, 1954 जैसा कि वह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त है, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और व्यावृत्ति ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अधिनियम द्वारा या के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए या जारी किए गए आदेश, अधिसूचनाएं या नियम भी हैं, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत है, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

शिमला-2, 22 फरवरी, 1986

संख्या डी0 एल0 आर0--अनुवाद अधिप्रमाणन/13/84.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज भाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश ड्रामेटिक परफौरमैंसिज ऐक्ट, 1964" के अधिप्रमाणित हिन्दी रुपान्तर को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश म एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

हिमाचल प्रदेश नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1964

(1964 का अधिनियम संख्यांक 4)

(31 दिसम्बर, 1984 को यथा विद्यमान)

(18 मार्च, 1964)

लोक नाट्य प्रदर्शन के बेहतर नियन्त्रण के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

यह समीचीन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में लोक नाट्य प्रदर्शनों के अधिक अच्छे नियन्त्रण के लिए उपबन्ध किया जाए;

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1964 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(1) "आक्षेपणीय प्रदर्शन" से कोई ऐसा खेल, मूकाभिनय या अन्य नाटक अभिप्रेत है--

(i) जिससे किसी व्यक्ति को, भारत में या उसके किसी राज्य में विधि द्वारा स्थापित सरकार या किसी क्षेत्र में उसके प्राधिकार को उलटने या जर्जरित करने के प्रयोजन के लिए, हिंसा या अभिध्वंस का सहारा लेने के लिए उद्दीप्त किए जाने की संभावना हो; या

(ii) जिससे किसी व्यक्ति की हत्या, अभिध्वंस या हिंसा को अन्तर्वलित करने वाला कोई अपराध करने के किए उद्दीप्त किए जाने की संभावना हो; या

(iii) जिससे संघ के किसी सशस्त्र बल या पुलिस बल के किसी सदस्य को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्त्तव्य से विचलित किए जाने की या ऐसे किसी बल में सेवा करने के लिए भर्ती करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल जाने की या किसी ऐसे बल के अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जाने की संभावना हो; या

(iv) जिससे भारत के नागरिकों के किसी एक भाग को भारत के नागरिकों के किसी अन्य भाग के विरुद्ध हिंसा की कार्रवाई करने के लिए उद्दीप्त किए जाने की सम्भावना हो; या

(v) जो भारत के नागरिकों के किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओं के अपमान द्वारा या ईशनिन्दा द्वारा या अपवित्र करने के द्वारा उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझ कर आशयित है; या

(vi) जो घोर अशिष्ट है, या गन्दा या अश्लील है या भयादोहन के लिए आशयित है:

स्पष्टीकरण (1):— कोई प्रदर्शन केवल इसी कारण से आक्षेपणीय नहीं समझा जाएगा कि उसके दौरान ऐसे शब्द उच्चारित, या ऐसे संकेत या दृष्य अभिनय किए जाते हैं जिसमें किसी विधि या सरकार की किसी नीति या प्रशासनिक कार्रवाई के प्रति अननुमोदन या आलोचना इस दृष्टि से अभिव्यक्त की गई है कि विधिपूर्ण साधनों द्वारा उसमें परिवर्तन या प्रतितोष अभिप्राप्त किया जा सके ;

स्पष्टीकरण (2):— यह निर्णय करने में क्या कोई प्रदर्शन आक्षेपणीय है, खेल, मूकाभिनय या अन्य नाटक पर सम्पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिए ।

(2) "शासकीय राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ।

(3) "सार्वजनिक स्थान" से ऐसा भवन या अहाता, या खुली वायु मे कोई ऐसा स्थान और कोई ऐसा पंडाल जिसके पार्श्व बन्द नहीं है अभिप्रेत है जहां जनता को प्रदर्शन देखने के लिए प्रवेश दिया जाता है ।

आक्षेपणीय प्रदर्शनों को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति ।

3. (1) जब कभी राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि किसी सार्वजनिक स्थान में प्रदर्शित या प्रदर्शित किया ही जाने वाला कोई खेल, मूकाभिनय या अन्य नाटक आक्षेपणीय प्रदर्शन है, तो वह उस प्रदर्शन को आदेश द्वारा, उन आधारों का कथन करते हुए, जिन पर वह प्रदर्शन को आक्षेपणीय समझती है, प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक आयोजक या प्रदर्शन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी अन्य प्रधान व्यक्तियों या उस सार्वजनिक स्थान के स्वामी या अधिभोगी को, जहां ऐसा प्रदर्शन किए जाने का आशय है, यह कारण दर्शित करने का उपयुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है कि उस प्रदर्शन को प्रतिषिद्ध क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश उद्घोषणा द्वारा भी अधिसूचित किया जा सकेगा और उसकी एक लिखित या मुद्रित सूचना किसी ऐसे स्थान या स्थानों पर लगाई जा सकेगी जो आदेश की जानकारी उन व्यक्तियों को देने के लिए अनुकूलित हो जो ऐसे प्रतिषिद्ध प्रदर्शन में भाग लेने का आशय रखते हैं ।

आक्षेपणीय प्रदर्शनों को अस्थायी रूप से प्रतिषिद्ध करने की शक्ति ।

4. (1) जिला मजिस्ट्रेट, यदि उसकी यह राय है कि प्रदर्शित या प्रदर्शित किया ही जाने वाले किसी खेल, मूकाभिनय या अन्य नाटक से, जो धारा-2 में विनिर्दिष्ट स्वरूप का है, शांति भंग होने की सम्भावना है, ऐसी राय के आधारों का कथन करते हुए उसके प्रदर्शन को आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगा :

परन्तु जिला मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति या पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा ।

(2) धारा 10 के अधीन अपील पर न्यायालय द्वारा दिए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन कोई आदेश उसके किए जाने की तारीख से दो मास तक प्रवृत्त रहेगा:

परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, यदि उसकी यह राय हो कि आदेश प्रवृत्त बना रहना चाहिए ऐसे और आदेश या आदेशों द्वारा, जैसे वह ठीक समझे, उपर्युक्त अवधि को दो मास से अनधिक ऐसी और अवधि या अवधियों तक बढ़ा सकेगा जो ऐसे आदेश या आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए।

प्रतिषेध के आदेश की तामीली।

6. धारा 8 की उप-धारा (1) या धारा 4 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति इस प्रकार प्रतिषिद्ध प्रदर्शन के आयोजकों या संचालन के लिए उत्तरदायी अन्य प्रधान व्यक्तियों, या उसमें भाग लेने ही वाले किसी व्यक्ति पर, या ऐसे सार्वजनिक स्थान के स्वामी या अधिभोगी पर, जिसमें ऐसे प्रदर्शन का होना आशयित है, व्यक्तिगत रूप से या ऐसी अन्य रीति से जैसी धारा 13 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, तामील की जा सकेगी।

आदेश की अवज्ञा करने के लिए शास्ति।

6. कोई व्यक्ति जिस पर धारा 3 या धारा 4 में निर्दिष्ट आदेश की प्रति तामील की गई है और जो ऐसे आदेश की अवज्ञा करते हुए कोई कार्य करेगा या जानबूझ कर करने की अनुज्ञा देगा, वह दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

प्रतिषेध को अवज्ञा करने के लिए शास्ति।

7. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन आदेश के प्रकाशन के पश्चात् या उस अवधि के दौरान जब धारा 4 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किया गया आदेश प्रवृत्त है, उसके द्वारा प्रतिषिद्ध या प्रदर्शन किसी ऐसे प्रदर्शन जो सारतः वैसा ही हो जैसा इस प्रकार प्रतिषिद्ध प्रदर्शन है, को आयोजित करेगा या उसके संचालन के लिए उत्तरदायी होगा, या जो यह जानते हुए कि धारा 3 या धारा 4 के अधीन ऐसा आदेश प्रवृत्त है, उसमें भाग लेगा, वह दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक स्थान का स्वामी या अधिभोगी है या उसका प्रयोग करता है, उसे धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध प्रदर्शन के लिए खोलेगा, रखेगा या उपयोग करेगा या उसे ऐसे किसी प्रदर्शन के लिए खोलने, रखने या उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देगा, दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

जानकारी मांगने की शक्ति।

8. (1) किसी आशयित खेल, मूकाभिनय या अन्य नाटक के स्वरूप को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, या ऐसा अधिकारी जिसे वह इस निमित्त सशक्त करे, ऐसे खेल, मूकाभिनय या अन्य नाटक के आयोजकों, या संचालन के लिए उत्तरदायी अन्य प्रधान व्यक्तियों या उसमें भाग

लेने ही वाले अन्य व्यक्तियों से, या प्रदर्शित किए ही जाने वाले खेल, मूकाभिनय या अन्य नाटक के रचयिता, स्वत्वधारी या मुद्रक से या उस स्थान के जिसमें उसका प्रदर्शित किया जाना आशयित है स्वामी या अधिभोगी से, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा जैसी राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी आवश्यक समझता है।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की गई हो अपने सर्वोतम सामर्थ्य के अनुसार ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर वह जानकारी देने के लिए आवद्ध होगा और उल्लंघन करने की दशा में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 के अधीन अपराध किया है। 1860 का

नाटक आदि की प्रति या सार मांगने की शक्ति।

9. (1) यदि राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि कोई आक्षेपणीय नाट्य प्रदर्शन किया जाने ही वाला है, तो यथास्थिति, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा, यह निदेश कर सकेगा कि किसी क्षेत्र के भीतर किसी सार्वजनिक स्थान में कोई ऐसा नाट्य प्रदर्शन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस कृति की, यदि और जहां तक वह लिखित है, एक प्रति या उसके सार का, यदि और जहां तक वह मूकाभिनय है, कोई विवरण, प्रदर्शन किए जाने के सात दिन से अन्यून पूर्व, राज्य सरकार को या उपर्युक्त जिला मजिस्ट्रेट को नहीं दे दिया जाता है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश की एक प्रति उस सार्वजनिक स्थान के, जिसमें ऐसा प्रदर्शन किया जाना आशयित है, स्वामी या अधिभोगी पर तामील की जा सकेगी, और यदि उसके पश्चात् वह ऐसे आदेश की अवज्ञा करते हुए कोई कार्य करेगा या जान बूझकर करने की अनुज्ञा देगा तो वह दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में अपील।

10. धारा 3 की उप-धारा (1) या धारा 4 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन ऐसे आदेश के प्रकाशन से साठ दिन के भीतर, या यथास्थिति, उस तारीख से, जिसको धारा 4 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन आदेश किया गया है, साठ दिन के भीतर न्यायिक आयुक्त, हिमाचल प्रदेश को अपील कर सकेगा, और ऐसी अपील पर, वह उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि, फेर फार या उलटते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे, और ऐसे पारिणामिक या आनुषंगिक आदेश पारित कर सकेगा जैसे आवश्यक हों।

अन्य विधियों के अधीन अभियोजन की व्यावृत्ति।

11. जहां किसी प्रदर्शन के सम्बन्ध में धारा 3 या 4 के अधीन कोई आदेश नहीं किया गया है, वहां इस अधिनियम की कोई बात भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्यविधि के अधीन किसी अभियोजन को वर्जित नहीं करेगी। 1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परिमाण।

12. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी प्राधिकारी या अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

नियम बनाने की शक्ति।

13. (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

1876 का 19

1876 के केन्द्रीय अधिनियम सं० 19 का निरसन।

14. नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 जहां तक वह हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू है, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

यावृत्ति।

15. नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 की धारा 14 द्वारा किया गया निरसन:—

(क) उक्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या इसके अधीन विधिवत की गई या सहन की गई किसी बात को; या

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को; या

(ग) उक्त अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड को; या

(घ) उपर्युक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को,

प्रभावित नहीं करेगा और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार वैसे ही संस्थापित, चालू और प्रवृत्त किया जा सकेगा और कोई ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया हो।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।